



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC - LIGNITE

Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761

E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई-निविदा संख्या: F.6(1)51/CC/2023/97

दिनांक: 13.07.2023

ई-निविदा प्रपत्र

गिरल लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर के लिए

एक बोलेरो वाहन-07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट)

किराये पर लेने हेतु

द्वारा

प्रबन्धक (यांत्रिकी-अनुबन्ध),
आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, एसबीयू एवं पीसी-लिग्नाईट,
खनिज भवन, जयपुर (राज.)

Period of online availability of Tender Document.	From 13.07.2023 to 24.07.2023 upto 5:00 P.M.
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	24.07.2023 upto 5:30 P.M.
Last date of physical deposition of EMD, Cost of Tender Document, Processing fees and requisite original Documents/Affidavits etc. with duly filled TD.	25.07.2023 upto 3:00 P.M.
Online opening of Bid (Part-I).	On 26.07.2023 at 11:00 A.M.
Cost of Tender Document	Rs.1180/- (including GST) Non-Transferable & Non-Refundable

रजिस्टर्ड ऑफिस : सी-89-90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर-302 015 (राज.) फोन : 0141-2743734	कॉर्पोरेट ऑफिस : 4, मीरा मार्ग, उदयपुर-313 001 (राज.) फोन : (0294) 2527211, 2428763-67 फैक्स : (0294) 2428770, 2428739 (CIN No. U14109RJ1949SGC000505)	एसबीयू एवं पीसी - लिग्नाईट खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर -302 005 (राज.) फोन : 0141-2227949, 2227627 फैक्स : 0141-2227761
--	--	---



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC - LIGNITE

Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761

E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या: F.6(1)51/CC/2023/97

दिनांक: 13.07.2023

कम्पनी की गिरल लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर पर तीन (03) वर्ष की अवधि हेतु निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं :-

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र डाउनलोड व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
गिरल लिग्नाईट माईन्स, बाड़मेर (पिन कोड-344701) के लिये एक बोलेरो – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक किराये पर लेने हेतु जो कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाड़मेर से खदान तक ड्यूटी पर सामान्य एवं अन्य पारियों में लाने व ले जाने के लिये प्रयुक्त होगी एवं जिसका एक ट्रिप (आना-जाना) 120 ± 5 किलोमीटर का माना जायेगा । वाहन का मॉडल वर्ष 2022 अथवा बाद का होना आवश्यक है ।	ऑनलाईन निविदा मिलने की अवधि दिनांक 13.07.2023 से दिनांक 24.07.2023 सांय 5.00 बजे तक । ऑनलाईन निविदा भरने की अन्तिम तिथि व समय 24.07.2023 सांय 5.30 बजे तक । ई-निविदा अनुसार डी.डी. एवं अन्य शुल्क तथा मूल प्रपत्र भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने की तारीख 25.07.2023 को सांय 3.00 बजे तक । ऑनलाईन निविदा खोलने (प्रथम भाग) की तारीख 26.07.2023 को सुबह 11.00 बजे ।	बयाना राशि— रुपये 80,000 /— निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) का मूल्य :— रुपये 1180 /— जी.एस.टी. सहित (अप्रतिदेय) ई-निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500 /— का डी.डी. जो कि एम.डी., आर. आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय हो	03 वर्ष (तीन वर्ष) तीन ट्रिप प्रतिदिन रुपये 40.00 लाख
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक : 26.07.2023 को सुबह 11.00 बजे ।		
सम्पर्क अधिकारी – प्रबन्धक ((यांत्रिकी – अनुबन्ध)	दूरभाष—(0141) 2227627 9358833574 E-Mail: skprajapati.rsmml@rajastha.gov.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें website - www.rsmm.com, spps.raj.nic.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है ।			

प्रबन्धक (यांत्रिकी-अनुबन्ध)



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC - LIGNITE

Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761

E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

विस्तृत ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या: F.6(1)51/CC/2023/97

दिनांक: 13.07.2023

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से ऑन-लाईन निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव, में आमन्त्रित की जाती हैं। कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण	बयाना राशि	कार्य अवधि एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
गिरल लिग्नाईट माईन्स, बाड़मेर (पिन कोड-344701) के लिये एक बोलेरो - 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक किराये पर लेने हेतु जो कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाड़मेर से खदान तक ड्यूटी पर सामान्य एवं अन्य पारियों में लाने व ले जाने के लिये प्रयुक्त होगी एवं जिसका एक ट्रिप (आना-जाना) 120 ± 5 किलोमीटर का माना जायेगा।	रुपये 80,000/-	03 वर्ष (तीन वर्ष) तीन ट्रिप प्रतिदिन रुपये 40.00 लाख
वाहन का मॉडल वर्ष 2022 अथवा बाद का होना आवश्यक है।		
Cost of tender document is Rs.1180/- (inclusive of G.S.T.) by Demand Draft / Pay Order / Bankers's Cheque, in favour of "RSMML Ltd." Payable at Jaipur.		
Processing Fee	Rs.500/- payable by Demand Draft in favour of Managing Director, R.I.S.L., payable at Jaipur.	
Period of online availability of Tender Document.	From 13.07.2023 to 24.07.2023 upto 5.00 P.M.	
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	24.07.2023 upto 5.30 P.M.	
Last date of physical deposition of EMD, cost of Tender Document, processing fees and requisite original documents/affidavits etc. with duly filled Tender Document.	25.07.2023 upto 3.00 P.M.	
Online opening of Bid (Part-I).	On 26.07.2023 at 11.00 A.M.	

ई-निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि www.rsmm.com, eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है। इस हेतु कार्यालय समयावधि में किसी भी कार्यदिवस को प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन-अनुबन्ध) से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

बयाना राशि रुपये 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा बयाना राशि के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय हो निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी।

ई-निविदाकर्ता अपनी निविदा दिनांक 25.07.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में सांय 03:00 बजे तक प्रस्तुत करेगा तथा निश्चित समय एवं तिथि पर उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई-निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओं को भिजवायी जावेगी।

जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कम्पनी द्वारा प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी, किसी भी प्रकार निविदा प्राप्ति में देरी अथवा विलम्ब के बारे में दावा मान्य नहीं होगा। कम्पनी के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

नोट: निविदा में संशोधन/शुद्धिपत्र केवल आर.एस.एम.एम.एल. की वेबसाइट एवं sppp.rajasthan.nic.in पर ही प्रकाशित किये जायेंगे; इस हेतु निविदाकर्ता उक्त वेबसाइट्स देखते रहें।

पात्रता :- क्लॉज संख्या 3.0 के अनुसार।

प्रबन्धक (यांत्रिकी-अनुबन्ध)



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू एवं पीसी – लिग्नाईट, जयपुर

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट –

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर-302005 (राजस्थान)
फोन नं.-0141-2227627,
फैक्स नं- 0141-2227938, 2227947
CIN No. U14109RJ1949SGC000505
GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

रजिस्टर्ड कार्यालय –

आर.एस.एम.एम. लिमिटेड,
सी-89-90, जनपथ, लालकोठी स्कीम,
जयपुर-302015 (राजस्थान)

निविदा संख्या: F.6(1)51/CC/2023/97

दिनांक: 13.07.2023

ई-निविदा प्रपत्र

1.0 गिरल लिग्नाईट खदान

गिरल लिग्नाईट खदान, बाड़मेर-जैसलमेर-आकली सड़क पर बाड़मेर से लगभग 43 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। खान क्षेत्र में कच्ची एवं पक्की सड़क है व कम्पनी द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व इनकी स्थिति अच्छी तरह देखकर ही अपने रेट प्रस्ताव भरे।

2.0 वाहन का कार्य क्षेत्र

- 2.1 एक बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक बाड़मेर शहर कार्यालय से खदान पर विभिन्न पारियों (तीन) के कर्मचारियों को लाने एवं ले जाने के लिये प्रयुक्त किया जायेगा तथा इसका उपयोग 24 घंटे के लिये होगा।
- 2.2 कम्पनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बाड़मेर से ड्यूटी हेतु गिरल लिग्नाईट खदान पर लाना एवं ड्यूटी के पश्चात् वापस ले जाना।
- 2.3 निविदा में वर्णित बोलेरो का उपयोग कर्मचारियों को सामान्यतय निर्धारित मार्ग द्वारा बाड़मेर से गिरल लिग्नाईट खदान तक लाना व ले जाना होगा जिसका एक ट्रिप 120±5 कि.मी. दोनों तरफ (आना व जाना) का माना जाएगा।
- 2.4 बोलेरो का रूट वर्तमान में माणक होस्पिटल से रेल्वे स्टेशन, ट्रांजिट होस्टल, तनसिंह सर्किल से नेहरू नगर, सिणधरी चौराहा से बाड़मेर आफिस, बलदेव नगर, डाइट होस्टल, माइन्स केन्टीन वाया वे-ब्रिज होते हुये उक्त खदानों तक के लिए आने व जाने के लिए होगा।
- 2.5 कम्पनी की आवश्यकतानुसार बोलेरो के रूट में परिवर्तन किया जा सकता है। बोलेरो के सम्बन्ध में रूट निर्धारण व इसमें परिवर्तन आदि के लिए कम्पनी के इकाई प्रमुख बाड़मेर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। भविष्य में मार्ग परिवर्तन होने की अवस्था में माईलेज कम या ज्यादा भी हो सकता है।
- 2.6 उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में कार्य क्षेत्र व इनमें परिवर्तन आदि के लिए इकाई प्रमुख, बाड़मेर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

3.0 पात्रता :

- 3.1 निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ट-‘स’ के अनुसार निविदाकर्ता को 50/- रुपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये। उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा।

- 3.2 निविदाकर्ता के पास कम से कम रुपये 10,00,000/- का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है। टर्न ओवर के पक्ष में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बैलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है।
- 4.0 **वाहन का स्वामित्व**
- 4.1 कम्पनी को एक बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक (कमर्शियल लाईसेंस) की नियमित रूप से अनुबन्ध के आधार पर आवश्यकता है। अतः उपरोक्तानुसार अनुभवी निविदाकर्ता के स्वयं/फर्म के किसी एक या अधिक साझीदार के नाम पर वाहन का पंजीकृत होना आवश्यक है। वाहन वर्ष 2022 अथवा तत्पश्चात् के मॉडल का होना आवश्यक है।
- 4.2 उपरोक्त क्लॉज 4.1 के अनुसार स्वयं का वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को एक शपथपत्र देना होगा कि उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत होने पर वह कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निश्चित तिथि से उक्त वाहन उपलब्ध करवा देगा अन्यथा कम्पनी को उसकी बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा। इस हेतु परिशिष्ट-“र” के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4.3 निविदाकर्ता, वाहन का स्वामित्व कार्य-अवधि के दौरान किसी भी व्यवस्था में लीज-डीड/पॉवर ऑफ अटॉर्नी/ट्रान्सफर डीड अथवा अन्य माध्यम के जरिये किसी अन्य व्यक्ति/संस्था इत्यादि को हस्तान्तरण नहीं करेगा। ऐसा करने पर प्रबन्धन को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5.0 **संविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता**
संविदा के प्रस्ताव (दरों) संविदा खोलने की तिथि से एक सौ अस्सी (180) दिन के लिए मान्य होंगे।
- 6.0 **कार्य अवधि**
कार्य की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष (3 वर्ष) होगी। कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात् राजस्थान ट्रान्सपेरेन्सी एक्ट के तहत अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिसका अधिकार आरएसएमएमएल के पास होगा।
- 7.0 **बयाना राशि :**
- 7.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रुपये 80000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट बयाना राशि के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न करना आवश्यक है।
- 7.2 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई-पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी किया जा सकता है जिसके लिये आरएसएमएम लिमिटेड के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Name of beneficiary	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR
Name of Bank	Axis Bank	ICICI Bank	HDFC Bank
Bank Location	Malviya Nagar, Jaipur	Khanij Bhawan, Tilak Marg, Jaipur	Aditya Tower, New Sanganer Road, Jaipur
Type of Account	C.D.	C.D.	C.D.
C.D. Account No.	910020036634989	678605000722	18437630000803
IFSC Code	UTIB 0000626	ICIC 0006786	HDFC 0001843

निविदाकर्ता को उपरोक्त बयाना राशि अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा एवं इस हेतु बैंक के संबंधित रेफरेन्स आईडी नम्बर की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

- 7.3 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे ।
- 7.4 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 7.5 असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य का आदेश दिये जाने एवं उसके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात लौटा दी जाएगी ।
- 7.6 सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि को धरोहर राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।
- 7.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् निश्चित समय में कार्यारम्भ नहीं करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
- 7.8 निविदाकर्ता द्वारा जमा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती है :-
- यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।
 - यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।
 - यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।
 - यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।
 - यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये हैं ।
 - यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है ।

8.0 धरोहर राशि :

- 8.1 धरोहर राशि कुल संविदा राशि (contract amount) की दस (10%) प्रतिशत राजस्थान ट्रान्सपेरेंसी एक्ट के अनुसार होगी ।
- 8.2 बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी. डी./ई-पेमेन्ट/बैंक गारण्टी (जिसका प्रारूप 'परिशिष्ट-श' पर संलग्न है, बैंक गारण्टी आई.सी.आई.सी.आई./एच.डी.एफ.सी./एक्सिस बैंक जिनकी शाखा जयपुर में स्थित होनी चाहिये) के द्वारा कार्य आदेश/सहमति पत्र देने के तीस (30) दिन के अन्दर जमा करानी होगी । बैंक गारण्टी अनुबन्ध के समापन तक प्रभावी होनी चाहिये ।
- 8.3 अगर निविदाकर्ता कार्य करने में विफल रहता है तो कम्पनी अपने विवेक से धरोहर राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी ।
- 8.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि संविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा उसके कारण कम्पनी को किसी प्रकार की हानि होने पर धरोहर राशि में से हानि की निर्धारित रकम काट कर भरपायी कर ली जायेगी । ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप धरोहर राशि में कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति संविदाकर्ता के मासिक बिलों में से की जा सकेगी ।
- 8.5 धरोहर राशि संविदा के समाप्त होने के सामान्यतः छह (6) माह के पश्चात लौटा दी जाएगी, बशर्ते कि संविदाकार ने सभी प्रकार की कटौतियाँ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया हो एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो ।
- 8.6 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

9.0 ई-निविदा प्रक्रिया:-

- 9.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in पर ईलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑन-लाइन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 9.2 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

- 9.3 इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई-निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा तथा तत्पश्चात् ही ई-निविदा को ऑन-लाइन भरने के लिए पात्र होगा।
- 9.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई-निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट-2000 के प्रावधानों के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है एवं ई-निविदा के सभी दस्तावेज आदि निविदाकर्ता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे। जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी।
- 9.5 डाउनलोड किये गये ई-निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा।
- 9.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउन-लोड किया जावेगा।
- 9.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है। तत्पश्चात् उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाईन अपलोड करना है।
- 9.8 अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र ही निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये मान्य होगा बशर्ते की निविदाकर्ता ने अपेक्षित निविदा प्रपत्र शुल्क (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क (एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय) एवं निर्धारित बयाना राशि (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) जमा कराई है।
- 9.9 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में निविदा प्रपत्र शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्कैन कॉपी को भी अपने ई-निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है। उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई-निविदा मान्य नहीं होगी।
- 9.10 उपरोक्त तीनों शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार तीनों वांछित मूल शपथ पत्र को प्रबन्धक(यांत्रिकी-अनुबन्ध), एसबीयू-पीसी (लिग्नाईट) को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करेगा। इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ-साफ अक्षरों में अंकित करेगा। निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 9.11 ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 1180/- का तथा निर्धारित बयाना राशि रुपये 80,000/- जोकि ई-पेमेन्ट/डी.डी./बी.सी. जोकि आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के पक्ष में देय है।
- 9.12 निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्धारित डी.डी./जमा राशि के विवरण आदि ई-निविदा भरते समय ई-निविदा पोर्टल में भी इन्द्राज करना होगा।
- 9.13 उपरोक्त विवरण इन्द्राज करने के पश्चात् निविदाकर्ता को उक्त राशियों के मूल डी.डी./बी.सी./ई-पेमेन्ट जमा के बाबत रेफरेन्स आई.डी., प्रबन्धक(कार्मिक व प्रशासन- अनुबन्ध), एसबीयू-पीसी (लिग्नाईट), खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के कार्यालय में निविदा के निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना आवश्यक है अन्यथा निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 9.14 ई-निविदा प्रपत्र दो भागों में भरा जायेगा, जोकि निम्न प्रकार से हैं :-
- | | |
|--------------|---|
| प्रथम भाग- | तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part) |
| द्वितीय भाग- | कार्य की दरें (Rate Part) |

9.14.1 प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)

- i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ट-‘अ’ के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करना है:-
 - (अ) वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई-पेमेन्ट द्वारा किये गये भुगतान का विवरण ।
 - (ब) नाम, पता, ई-मेल, टेलिफोन नं०, मोबाइल नं., फैक्स नं० इत्यादि की जानकारी ।
 - (स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।
 - (द) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।
 - (य) पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित फोटो प्रति ।
 - ii) वाहन पर नियुक्त चालक एवं हैल्पर्स की जानकारी परिशिष्ट-‘ब’ में प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
 - iii) नये वाहन को निर्धारित तिथि को लगाने का शपथ पत्र परिशिष्ट-‘र’ के अनुसार ।
 - iv) पात्रता के संबंध में क्लॉज संख्या 4.00 के अनुसार वांछित शपथ पत्र परिशिष्ट-‘र’ के अनुसार ।
 - v) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ट-‘द’ के अनुसार देनी होगी ।
 - vi) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो परिशिष्ट-‘य’ के अनुसार घोषणा ।
 - vii) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र परिशिष्ट-‘ल’ प्रस्तुत करना होगा ।
 - viii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 में समय-समय पर जारी संशोधन भी लागू रहेंगे ।
 - ix) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ट संलग्न किये हैं:-

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1

Annexure D: Additional Conditions of Contract.
 - xiii) आर.टी.पी.पी. एक्ट, 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स, 2013 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन/स्पष्टिकरण इत्यादि भी लागू होंगे ।
- नोट- **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है ।

9.14.2 वाहन के संबंध में :-

- i) स्वयं के स्वामित्व वाले कलैण्डर वर्ष 2022 अथवा बाद के मॉडल की बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति या प्रपत्र (परिशिष्ट-ब) के अनुसार 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र ।
- ii) कंपनी में लगाए जाने वाली प्रस्तावित बोलेरो वाहन के अंदर से तथा बाहर से लिए गए फोटो चित्र ।(कार्यादेश पूर्व)

- iii) बोलेरो वाहन का कम्प्रेहेंसिव बीमे की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश पूर्व)
- iv) बोलेरो वाहन के रोड परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश पूर्व)
- v) बोलेरो वाहन के चुकता रोड टैक्स इत्यादि की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश पूर्व)
- vi) बोलेरो वाहन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश पूर्व)

उपरोक्त सभी को मिलाकर पूरा तकनीकी-वाणिज्यिक भाग होगा व इन्हें लिफाफे में बंद कर, लिफाफे पर तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव तथा निविदा की संख्या, निविदा खोलने की तारीख और निविदाकर्ता का नाम व पता लिखकर प्रस्तुत करने होंगे । निविदाकार को निविदा प्रपत्र की शर्तों की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।

9.14.3 द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part)

- कार्य की दरें ऑन-लाइन भरनी हैं । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के BOQ फॉर्म में ही भरें ।
- द्वितीय भाग – कार्य की दरें ऑन-लाइन निविदा भरने का प्रोफॉर्म परिशिष्ट-‘व’ के अनुसार है । निविदाकर्ता इस परिशिष्ट BOQ को वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेगा । किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जोकि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है, इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी ।
- निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

- 9.15 प्रथम तकनीकी-वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा । सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जाएगा ।

10.0 ई-निविदा प्रपत्र को भरना:-

- 10.1 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
- 10.2 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की शर्तों की स्वीकृति हेतु **प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।**
- 10.3 ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा दर प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण केवल संदर्भ के लिए ही होगा । निविदा हेतु प्राप्त दर प्रस्तावों का तुलनात्मक मूल्यांकन कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा ।

11. निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेश

- 11.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । उचित दर पाये जाने पर बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक के मासिक आधार पर न्यूनतम प्रस्ताव को ही कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा जिस निविदाकार का दर प्रस्ताव मासिक आधार पर न्यूनतम होगा उसी को ही कम्पनी द्वारा इस निविदा का कार्य आदेश जारी किया जावेगा, यदि न्यूनतम प्रस्ताव कम्पनी द्वारा उचित नहीं पाया गया तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।
- 11.2 ऐसे निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति लिखित में देनी होगी तथा बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी./ई-पेमेन्ट के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र देने की तिथि से तीस (30) दिन के अन्दर जमा करानी होगी ।

- 11.3 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात 30 दिन में संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर जो कि महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.2(31)FD/Tax/2019-253 दिनांक 06.11.2020 के अनुसार होगा एवं समय-समय पर संशोधित परिपत्र भी लागू रहेंगे।
- 11.4 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा।
- 11.5 कार्यादेश के जारी होने के पश्चात् निश्चित कार्यदिवस को कार्यारम्भ करना होगा।

12.0 **नेगोशियेशन:**

- 12.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L₁) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित **काउन्टर ऑफर** द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L₂) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L₃) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा। जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है।
- 12.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 12.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (**written authority**) प्रस्तुत करना होगा जिसमें की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें निविदाकर्ता को किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा।

13.0 **TAXES/GST**

- i) निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा का (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा, अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो की निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो। प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी एवं निविदा में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी।
- ii) वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी। इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा।
- iii) यदि किसी कारणवश RSMML को क्रेडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्वोरिटी डिपॉजिट में से यह क्रेडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
- iv) कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) के कारण पेनेल्टी लगने की परिस्थिती में देय राशि का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह राशि कांट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती/समायोजित कर सकती है।
- v) निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के ड्यूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोड़कर भरनी होगी। इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है।

- vi) अगर निविदा भरने के बाद कर एवं ड्यूटी बढ़ती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं ड्यूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करें एवं ड्यूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबंधकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

14.0 बिलों का भुगतान

- 14.1 संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।
- 14.2 महिने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह की प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
- 14.3 यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की फोटो प्रति बिल के साथ कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।
- 14.4 साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट-पेयी चैक/RTGS/NEFT के द्वारा कर दिया जाएगा ।
- 14.5 प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वाहन का उपयोग नहीं होने पर, ऐसी अवधि का कोई भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति या अन्य किसी प्रकार के दावे की राशि कम्पनी द्वारा देय नहीं होगी ।
- 14.6 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

15.0 वाहन का उपयोग

- 15.1 एक बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक के उपयोग में कमी व वृद्धि (परिवर्तन) भी सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकेगी तथा आवश्यकतानुसार भुगतान किया जाएगा ।
- 15.2 अनुबन्धित उपरोक्त टैक्सी में चालक द्वारा किसी अनाधिकृत व्यक्तियों को नहीं बिठाया जावेगा तथा बिना अनुमति के अन्य किसी कार्य में प्रयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।

16.0 डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर

- 16.1 वृद्धि अथवा कमी (एसकेलेशन अथवा डिएसकेलेशन) की गणना करने के लिए डीजल की मूल दर निविदा प्रकाशन की दिनांक 13.07.2023 को लागू दर के आधार पर उस माह बाड़मेर जिले में I.O.C.L./BPCL/HPCL की खुदरा दर रुपये 95.28/- लागू होगी । इस हेतु डीजल की दर प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को प्रचलित दर मान्य होगी, एवं प्रत्येक माह के बिल के साथ I.O.C.L./BPCL/HPCL. का दर प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।
- 16.2 (डीजल की वर्तमान दर (माह की प्रथम तिथि)-निविदा में दी गई दर)X(120±5कि.मी.प्रति ट्रिप)
13 कि.मी. प्रति लीटर
- 16.3 उपरोक्त घटत बढ़त केवल डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी । किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।
- 16.4 डीजल की दरों में पाँच (05) पैसे प्रतिलीटर तक की घटत-बढ़त का कोई प्रभाव नहीं होगा ।
- 16.5 कार्य आदेश जारी होने पर संविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर बाड़मेर में डीजल की प्रचलित दर, जोकि डीजल रिटेल आउट-लेट के द्वारा जारी किया गया हो को इकाई प्रमुख, आरएसएमएमएल, बाड़मेर से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

17.0 वाहन पर नियोजित चालक व हेल्पर

- 17.1 एक बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) के चालक को वांछित ड्रेस में स्वस्थ, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक बिना नशा तथा धूम्रपान रहित एवं अनुशासित होना आवश्यक हैं । टैक्सी चालक की सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट—“ब”) में देनी होगी । चालक के पास मोबाइल चालू हालत में होना आवश्यक है ।
- 17.2 उपरोक्त वाहन के चालक के पास ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया प्राधिकृत वाहन चलाने का कमर्शियल लाइसेंस, टोकन तथा वाहन के संपूर्ण प्रपत्र होने आवश्यक है ।
- 17.3 सामान्यतः उपरोक्त वाहन के चालक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु चालक में परिवर्तन करने पर उसकी संपूर्ण पूर्व सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट—“ब” में देनी होगी ।
- 17.4 पारी के अंत में दैनिक कार्य पूर्ण होने पर लॉग बुक में कम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने की नियमित संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लॉग बुक की जाँच करने के लिए मांगने पर वाहन चालक को लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी । कम्पनी की जिम्मेदारी केवल लॉग बुक में सत्यापित यात्राओं के भुगतान की रहेगी । यात्रा विवरण की वे प्रविष्टियाँ जिन का सत्यापन कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, उनका भुगतान करने की कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।
- 17.5 उपरोक्त वाहन का चालक ड्यूटी के दौरान शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किए हुए पाया जाने पर उसे वाहन का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था ठेकेदार की जोखिम व लागत पर ही की जा सकेगी व इसका संपूर्ण भुगतान ठेकेदार के मासिक बिलों में से कटौती करके किया जाएगा ।
- 17.6 वाहन चालक सदैव वाहन को ठीक तरह से चलायेगा और किसी भी तरह के वाद—विवाद अथवा दुर्घटना से बचाव करेगा । यात्रा के दौरान वाहन चालक या हेल्पर की गलती से या अन्य किसी कारण से यदि उस पर कोई दंड किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया जाता है तो उसका भुगतान संविदाकार को करना होगा तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।
- 17.7 उपरोक्त वाहन पर लगाए गए कर्मचारी का वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान ठेकेदार द्वारा देय होगा । यदि ठेकेदार अपने कर्मचारी का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के मासिक बिलों में से कटौती करके वाहन पर लगाए गए कर्मचारी को देय मासिक वेतन—भत्ते का भुगतान कर देगी ।
- 17.8 उपरोक्त वाहन पर लगाए गए कर्मचारी का व्यवहार अथवा कार्य उचित नहीं पाने पर ठेकेदार को ऐसे कर्मचारी को तुरन्त बदलना होगा ।
- 17.9 चालक को हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है । वाहन चालक एवं वाहन के मालिक को कम्पनी के वाहन संचालन संबंधित सभी निर्देशों की पूर्णरूप से पालना करनी होगी ।
- 17.10 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन का चालक संविदा समयावधि में वाहन का उपयोग किसी भी निजी अथवा अन्य कार्यों के लिए नहीं करेगा और कानून विरुद्ध कार्य में परिचालन नहीं करेगा । अनुबन्धित वाहन में चालक अधिकृत व्यक्तियों को ही बिठायेगा, अनाधिकृत व्यक्तियों का वाहन में प्रवेश वर्जित होगा ।
- 17.11 जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत वाहन की अवधि में निविदाकर्ता (ठेकेदार) को वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी तथा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर ठेकेदार की लागत व जोखिम पर विभाग द्वारा व्यवस्था की जायेगी ।
- 17.12 कार्य को निर्धारित अवधि में शुरू नहीं कर पाने की दशा में कम्पनी द्वारा वार्षिक अनुबन्ध राशि का 0.5% राशि का जुर्माना साप्ताहिक लिया जायेगा यदि ये

जुर्माना राशि 2% से ऊपर चली गयी तब कम्पनी स्वविवेक से निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यादेशों को निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर सकती है ।

17.13 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन के रोड़ टैक्स, बीमा इत्यादि आवश्यक दस्तावेज कम्पनी कार्यालय में जमा न कराने पर कम्पनी 5000/- रुपये प्रतिमाह पेनल्टी वाहन मालिक/ठेकेदार से वसूलेगी । वाहन लगाने के दो महिने पश्चात भी उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत न होने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा ।

17.14 चालक वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग नहीं करेगा ।

18.0 वाहन के रखरखाव के संदर्भ मे

18.1 बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) **कैलेंडर वर्ष 2022** अथवा तत्पश्चात् मॉडल का होना आवश्यक है ।

18.2 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन मोटर टैक्सी परमिट की होनी चाहिए । यदि अनुबन्धित वाहन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो जिस वाहन एक बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक टैक्सी का मॉडल वर्ष 2022 अथवा तत्पश्चात् का होना आवश्यक है) की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी वह वाहन भी रोड़/रुट परमिट का होना आवश्यक है । परमिट की एक सत्यापित/फोटो प्रति ठेकेदार को कम्पनी में जमा करवानी आवश्यक होगी ।

18.3 ठेकेदार को उपरोक्त अनुबन्धित वाहन के साथ हर समय काम में आने वाले औजार, स्टेपनी एवं आवश्यक स्पेयर्स रखने होंगे । कम्पनी के यान्त्रिक अभियंता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

18.4 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन पर पूर्ण रूप से सीट कवर, पर्दे इत्यादि सही हालत साफ तरह से लगे होने अनिवार्य है । इनके समय समय पर रखरखाव व व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी ।

18.5 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन के रखरखाव/दुरुस्ती करवाने की दशा में उसके स्थान पर ठेकेदार को उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रबन्धन को कम से कम 24 घंटे पूर्व लिखित में अनुमति लेना आवश्यक होगी तथा इस दौरान सुचारु वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । यदि संविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है तो कम्पनी संविदाकार की जोखिम व लागत (Risk & Cost) पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगी व इसका समायोजन संविदाकार के मासिक बिलों से किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रबन्धन रुपये 5000/- प्रति दिन तक पेनल्टी वसूल कर सकेगा ।

18.6 संविदा की अवधि के दौरान उपरोक्त अनुबन्धित वाहन का रोड़ टैक्स/स्पेशल रोड़ टैक्स, रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेंसिव बीमा, रोड़ परमिट इत्यादि वैध होने चाहिए व इन वैध प्रपत्रों की भी एक एक फोटो प्रतिलिपि ठेकेदार प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी टैक्स संविदा की अवधि के दौरान बढ़ाया जाता है तो ऐसे समस्त बढ़े हुए टैक्सों का या कोई नया टैक्स लागू किया जाता है तो उसका भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा व ऐसे भुगतानों के लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

18.7 समय की पाबंदी इस संविदा का मुख्य मर्म है । अतः, समय पर वाहन के गिरल खदान पर अथवा ठेकेदार की लापरवाही से समय पर उसकी सेवायें उपलब्ध नहीं होने पर प्रबंधन निम्न अनुसार पेनल्टी लगाने के लिए स्वतंत्र होगा :-

अ.	वाहन का निर्धारित समय से पंद्रह (15) मिनट देर से आने पर	रु.150/-प्रति ट्रिप
ब.	वाहन के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से आने पर	रु.250/-प्रति ट्रिप

- स. यदि वाहन आधे घंटे से अधिक देरी से आता है तो उस ट्रिप का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- द. वाहन के नहीं आने पर कम से कम रुपये 2000/- प्रति ट्रिप या वास्तविक लागत एवं जोखिम के भुगतान की कटौति जो भी अधिक हो तथा उस ट्रिप का भुगतान नहीं होगा ।
- 18.8 ठेकेदार को अनुबन्धित वाहन के लिए लॉग बुक सही हालत में एवं पूर्ण (Updated) रखनी होगी ।
- 18.9 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को दुरुस्त रखना एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- 18.10 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के लिए ही किया जाएगा व उन्हें अन्य किसी भी उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकेगा । उक्त वाहन में केवल आर.एस.एम.एम.लिमिटेड के अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे ।
- 18.11 उपरोक्त वाहन को चलाने के संबंध में ईंधन, ऑयल इत्यादि का खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा । वाहन के साथ में अग्नि-शामक एवं प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट-एड बाक्स (First Aid Box) आवश्यक औषधियों सहित रखना अनिवार्य होगा ।
- 18.12 जिले की निर्धारित सीमा से बाहर जाने पर टोल-टैक्स व एन्ट्री टैक्स, परमिट टैक्स जो कि राजस्थान से बाहर देय होगा उसे कम्पनी (आर.एस.एम.एम. लिमिटेड) द्वारा वहन किया जावेगा ।
- 18.13 जिला प्रशासन द्वारा चुनावों या अन्य कार्यों में उपरोक्त वाहनों की कोई मांग होने पर डीजल संबंधी भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा । कम्पनी कोई भुगतान नहीं करेगी तथा कम्पनी के लिए वाहनों की वैकल्पिक व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी तथा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर ठेकेदार की लागत व जोखिम (Cost & Risk) पर विभाग द्वारा व्यवस्था की जायेगी ।

19.0 स्थानीय कार्यालय

ठेकेदार को अपना स्थानीय कार्यालय बाड़मेर में खोलना होगा तथा वहाँ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि ठेकेदार की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो । ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति की जानकारी ठेकेदार को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत की जानी आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतः कम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है ।

20.0 संविदा की समाप्ति:-

- 20.1 कार्य-आदेश जारी होने की निर्धारित अवधि (तिथि) में कार्य आरम्भ न करने की स्थिति में कार्य-आदेश रद्द किया जा सकता है तथा अमानत/बयाना राशि जब्त की जा सकती है ।
- 20.2 यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं हैं अथवा वह वाहन को सात (07) दिन तक लगातार ड्यूटी हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिए संविदा को समाप्त कर सकता है । इस प्रकार संविदा समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है व कम्पनी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार के किसी भी बकाया बिल अथवा अमानत राशि में से इसका समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा । उक्त राशि समुचित नहीं होने पर शेष राशि विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा वसूली जा सकेगी ।

21.0 निविदाकर्ता द्वारा अपील करना

यदि निविदाकर्ता, प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure—C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी जोकि प्रबन्ध निदेशक, आर.एस. एम.एम. लिमिटेड, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर (राज.) व द्वितीय अपील अधिकारी जो कि खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर है के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है।

22.0 न्याय क्षेत्र

इस संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालय ही रहेगा।

23.0 विविध

23.1 ठेकेदार कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, बोनस संदाय अधिनियम 1965, उपदान संदाय अधिनियम 1972, मोटर यान अधिनियम 1988, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठेका श्रम (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1970, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं अनुबन्धित कार्य पर लागू समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों, नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इसमें उक्त अधिनियमों /नियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिये भी ठेकेदार पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा। निर्धारित कार्य अवधि के दौरान वाहनों के किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सभी संबंधित जिम्मेदारी, जिसमें सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है, ठेकेदार की होगी।

23.2 संविदा लागू होने की स्थिति में ठेकेदार को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा। ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा। कम्पनी के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा। इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी। चूँकि ठेकेदार के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि ठेकेदार की ओर से जमा करानी होगी अतः ठेकेदार उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा। कंपनी ठेकेदार की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी। ठेकेदार ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा। कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को ठेकेदार उपलब्ध कराएगा। श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये

नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हमयह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर
मोबाईल नं.....पता.....



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट

निविदा संख्या: F.6(1)51/CC/2023/97

दिनांक: 13.07.2023

तकनीकी एवं वाणिज्यिक (Part-I)

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1-	वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	
2-	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई-मेल इत्यादि	
3-	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4-	निविदा प्रपत्र में क्लोज संख्या 3.0 के अनुसार वांछित शपथ पत्र ।	हाँ/नहीं
5-	संविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये संलग्न शपथ पत्र ।	हाँ/नहीं
6-	टर्न ओवर के पक्ष में कम से कम रुपये 10,00,000/- का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बैलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि)	
7-	पैन कार्ड नम्बर (PAN No.)	हाँ/नहीं
8-	पी.एफ. कोड या शपथ पत्र	हाँ/नहीं
9-	जी.एस.टी. नम्बर की प्रति	हाँ/नहीं
10-	अण्डर टेकिंग Annexure-B के अनुसार	

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :-

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

प्रारूप

निविदाकर्ता द्वारा नियोजित बोलेरो वाहन – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट)
मय वाहन चालक पर नियुक्त चालक का विवरण :-

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति
7. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
8. यात्री वाहन का बैज नं.
9. ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी
10. शैक्षणिक योग्यता
11. कार्यानुभव एवं प्रमाण
12. लम्बित वादों का विवरण

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर-----
मय सील एवं दिनांक

प्रारूप

(रूपये 50/- के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है)

शपथ पत्रा

मैंपुत्रा.....जातिआयु.....निवासी
गाँव/कस्बा/मोहल्ला, मकान नं०.....तहसील जिला (प्रदेश).....
शपथपूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ कि :-

1. यह है कि मैसर्स ने आरएसएमएम लिमिटेड में गिरल लिग्नाईट माइन्स, बाडमेर के लिए एक बोलेरो वाहन - 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक सहित किराये पर लेने हेतु के कार्य के लिए ई-निविदा प्रपत्रा संख्या एफ.6(1)51/CC/2023/97..... दिनांक प्रस्तुत किया है, जिसको मैंने भली भाँति पढ़ एवं समझ लिया है तथा निविदा प्रपत्रा में जारी सभी शर्तें एवं नियम मुझे मान्य हैं ।
2. यह है कि मैसर्स के पक्ष में यदि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा उक्त कार्य जारी किया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य को सुचारु रूप से एवं बिना किसी अवरोध के करने को तैयार हूँ ।
3. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड के द्वारा मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य के लिए निविदा प्रपत्रा में के अनुसार ही नियत समय पर वाहन उपलब्ध कराऊंगा एवं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरे स्वयं की होगी ।
4. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा सलंगन निविदा प्रपत्रा में निर्दिष्ट कार्य मेरे पक्ष में जारी किये जाने पर मैं यदि विलम्ब करता हूँ या कार्य आरम्भ/क्रियान्वित करने में असफल रहता हूँ, तो कम्पनी द्वारा कार्य आदेश निरस्त कर मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं भविष्य में आरएसएमएमएल द्वारा जारी किसी प्रकार के निविदा में मुझे भाग लेने के पात्रा नहीं माना जावें, जिसके लिए मैं भविष्य में किसी प्रकार का एतराज एवं उज्र नहीं करूँगा ।

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं उक्त ईश्वर को साक्षी मानकर बयान करता हूँ कि इस शपथ पत्रा के पेरा 1 लगायत 4 सत्य एवं सही हैं तथा संलग्न निविदा प्रपत्रा की सभी शर्तें पढ़ व समझ कर स्थिर बुद्धि, स्वस्थ चित्त की अवस्था में अपने हस्ताक्षरों से कुल किता मुद्रांक 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवें । इति

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

दिनांक-

स्थान:

गवाह 1. हस्ताक्षर.....
(गवाह का नाम व पूरा पता)

2. हस्ताक्षर
(गवाह का नाम व पूरा पता)

Undertaking

I/We in respect of submission of tender to the
RSMM Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.
2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.
3. No Legal case is pending with RSMML.

(
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU&PC(Lignite)

TENDER NO. F.6(1)51/CC/2023/97

Dated: 13.07.2023

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006._____ (Yes/No)

2. If yes, please furnish the declaration given below.

We (Name of Tenderer_____),
hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____ (Micro, Small & Medium) Enterprises.

3. Enclose attested copy of registration certificate.

4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:

Place:

प्रारूप

(रु.50/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

मैं पुत्र.....जाति.....
निवासी..... तहसील जिला(राज0) शपथ
पूर्वक बयान करता हूँ -

1. कि यदि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की निविदा संख्या: F.6(1)51/CC/2023/97 दिनांक के तहत मेरे पक्ष में कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 15 दिवस के अन्दर-अन्दर एक बोलेरो वाहन - 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक मॉडल वर्ष 2022 अथवा तत्पश्चात् मॉडल का आपको उपलब्ध करवा दूँगा।
2. यह है कि यदि मैं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निश्चित कार्यदिवस को एक बोलेरो वाहन - 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक माडल वर्ष 2022 अथवा तत्पश्चात् मॉडल का उपलब्ध नहीं करवा पाता हूँ तो मेरी बयाना राशि रुपये 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) को जब्त करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को होगा।

ह. निविदाकर्ता

तस्दीक

मैं तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा एक व दो में वर्णित तमाम तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। इति दिनांक

ह. निविदाकर्ता

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

AFFIDAVIT

I.....S/o Shri aged..... year, resident of
..... on behalf of the tenderer i.e. M/s
..... hereby undertake oath and state as
under:-

- 1) That I have submitted a tender for
- 2) That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
- 3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications in respect of the employees engaged for the work are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).
- 4) That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned P.F. Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Annexure A: Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to For procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Managing Director,
RSMM Limited,
4-Meera Marg,
Udaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary,
Mines Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur (Raj.)

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procumbent;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred (Rs. 2500/-) and for second appeal shall be rupees ten thousand (Rs. 10000/-), which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012**

Appeal No. of
Before the(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal :
.....
.....(Supported by an affidavit)
7. Prayer:
.....
.....
 - Place
 - Date
 - Appellant's Signature



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

कार्य की दरें ऑन-लाईन निविदा भरने का प्रोफार्मा

निविदाकर्ता इस परिशिष्ट BOQ को वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेगा

SAMPLE BOQ / PRICE BID

**(TO BE DOWNLOADED FROM EPROC WEBSITE, FILLED
AND UPLOADED AS ONLINE PRICE BID BY BIDDER USING
HIS DIGITAL SIGNATURE)**